MP Board Class 8th Hindi Sugam Bharti Solutions Chapter 4 सबके चेहरे खिल उठे

<u>प्रश्न अभ्यास</u>

<u>अनुभव विस्तार</u>

प्रश्न 1.
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
(क) सही जोड़ी बनाइए
(अ) मानवाधिकार – 1. सद्भाव
(ब) सांप्रदायिक – 2. संरक्षण
(स) राष्ट्रीय – 3. आयोग
(द) कानूनी – 4. हित
उत्तर-
(अ) – 3
(ब) – 1
(स) – 4
(द) – 2

प्रश्न 2.
दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(अ) रामू के काका को पुलिस …………………. के लिए पकड़कर ले जा रही थी। (गिरफ्तार करने, पूछताछ करने)
(ब) पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी ………………….. (जनता को सताना, नागरिकों की सुरक्षा)
(स) पुलिस अपराधी को …………………… घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है। (चौबीस, बत्तीस)
उत्तर-
(अ) पूछताछ,
(ब) नागरिकों की सुरक्षा,
(स) चौबीस।

प्रश्न 2.
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
(अ) पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए?
(ब) पुलिस लोगों से पूछताछ क्यों करती है?
(स) पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी कौन-कौन से हैं?
(द) हम पुलिस का सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं?
उत्तर-
(अ) पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। इसलिए हमें पुलिस से नहीं डरना चाहिए।

(ब) जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है, तब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है।

(स) जिला पुलिस अधीक्षक, डी.आई.जी., रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी हैं।

(द) कानून व्यवस्था को बनाए रख करके, सूचना का आदान-प्रदान करके, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करके और कानून व संविधान में आस्था रख करके हम पुलिस का सहयोग कर सकते हैं।

प्रश्न 3.

लघु उत्तरीय प्रश्न-

(अ) पुलिस किस-किस स्थिति में हथकड़ी लगा सकतीहै?

उत्तर-

यदि पुलिस को विश्वास हो कि अपराधी भाग जाएगा, तो वह उसे हथकड़ी लगा सकती है। यह भी कि यदि कोई खतरनाक आरोपी है, तो न्यायालय की अनुमति मिलने पर भी पुलिस उसे हथकड़ी लगा सकती है।

(ब) पुलिस को सहयोग करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर-

पुलिस असामाजिक और आपराधिक तत्त्वों के विरुद्ध कार्यवाही करके अपराध को रोकती है। इसके लिए वह हमारा सहयोग चाहती है। इसलिए पुलिस को सहयोग करना आवश्यक है।

(स) महिलाओं से पूछताछ के लिए क्या-क्या सावधानियाँ जरूरी हैं?

उत्तर-

महिलाओं से पूछताछ के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ जरूरी हैं

1. पुलिस हिरासत में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो।
2. कोई अपमानजनक बात न हो।
3. उनके साथ कोई अपराध घटित होने पर या महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल खोजकर उनको उचित संरक्षण और कानूनी सहायता प्रदान हो।

(द) नागरिकों के पुलिस के प्रति क्या कर्त्तव्य हैं?

उत्तर-

नागरिकों के पुलिस के प्रति निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे।
2. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को निकट के अस्पताल में पहुँचाकर पुलिस को सूचना दे।
3. प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज आदि की सुरक्षा और सम्मान करना एवं उनकी खोज संबंधी सही गवाही पुलिस को दे।

भाषा की बात

प्रश्न 1.
बोलिए और लिखिए-
दृष्ट्या, अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, गिरफ्तार, उत्पीड़न, विशेष, अनुसंधान, संरक्षण।
उत्तर-
दृष्ट्या, अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, गिरफ्तार, उत्पीड़न, विशेष, अनुसंधान, संरक्षण।

प्रश्न 2.
रेखांकित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य बनाइए
(अ) दोषी व्यक्ति को दण्ड मिलता है।
(ब) सज्जनों का सभी सम्मान करते हैं।
(स) अपराधी जितने दूर हों उतना अच्छा।
(द) मैं आज कक्षा में उपस्थित रहूँगा।
उत्तर-
(अ) निर्दोषी व्यक्ति को सम्मान मिलता है।
(ब) दुर्जनों का सभी अपमान करते हैं।
(स) अपराधी जितने पास हों, उतना बुरा।
(द) मैं कल कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा।

प्रश्न 3.
उदाहरण के अनुसार ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए
उत्तर-
'ई' प्रत्यय लगाकर नए शब्द

मूल शब्द	प्रत्यय	नए शब्द
अपराध	ई	अपराधी
पाप	ई	पापी
दान	ई	दानी
सहयोग	ई	सहयोगी
प्राण	ई	प्राणी

♦ प्रमुख गद्यांशों की संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्याएँ

1. गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी, गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। पूछताछ की और जरूरत होने पर मजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दे।

शब्दार्थ-रिकॉर्ड-लिखित विवरण। हिरासत-निगरानी। मजिस्ट्रेट-दंडाधिकारी। अनुमति-आदेश, आज्ञा।।

संदर्भ-प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य-पुस्तक 'सुगम्र भारती' (हिंदी सामान्य) भाग-8 के पाठ-4 'सबके चेहरे खिल उठे' से ली गई हैं।

प्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि

व्याख्या-जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका खास मतलब होता है। वह यह कि इससे वह अपने लिखित विवरण में जरूरी बातों को दर्ज कर लेती है। इसके बाद वह अपनी निगरानी में रख लेती है। फिर वह उसे दंडाधिकारी के सामने अपना अगला कदम उठाने के लिए पेश करती है। यह कदम वह किसी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंतर्गत ही उठाती है। दंडाधिकारी पर यह निर्भर करता है कि वह क्या कदम उठाता है। वह उसे पुलिस के पास रखने का आदेश देता है अथवा उसे जेल की सजा सुनाता है। यह भी वह कदम उठा सकता है कि वह उसे जमानत पर भी रिहा कर दे।

विशेष-

- पुलिस की कार्यविधि को स्पष्ट किया गया है।
- भाषा मिली-जुली है।

2. पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान-प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है।

शब्दार्थ-नियंत्रण-वश। असामाजिक-समाज विरोधी। आपराधिक-अपराध करने वाले। स्वेच्छा-अपने-आप। आस्था-विश्वास। सहयोग-सहायता।

संदर्भ-पूर्ववत्।

प्रसंग-इन ,पंक्तियों में लेखक ने पुलिस द्वारा अपराध रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम के विषय में बतलाते हुए कहा है कि

व्याख्या-पुलिस विभाग हमेशा किसी प्रकार के सामाजिक-असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अपराधों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करती है। इसके लिए वह अपराधियों के विरुद्ध कदम उठाती है। इस दिशा में वह अधिक-से-अधिक हम सभी की सहायता-सहयोग चाहती है। यह तभी संभव है जब हम अपने देश के नियम-कानून का पालन करें। परस्पर सूचना और संपर्क बनाए रखें । स्वतंत्र रूप से कानून-नियम का न केवल पालन करें, अपितु आस्था और विश्वास भी रखें। ऐसा करके भी हम पुलिस विभाग को सहायता-सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

विशेष-

- किसी प्रकार के अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग करने की आवश्यकता बतलायी है।
- यह अंश ज्ञानवर्द्धक है।